सुनील कुमार

बनाम

राम सिंह गौड़ एवं अन्य

(अशोक भान एवं डी.के. जैन न्यायाधिपति)

मोटर वाहन अधिनियम, 1988

धारा 166 और धारा 163-ए के अनुसार संरक्षित द्वितीय अनुसूची - स्थायी विकलांगता के कारण आय की हानि के लिए मुआवजा- दो वाहनो के बीच हुई टक्कर - मिनी ट्रक के ड्राईवर को गंभीर चोंटे आने से 45 प्रतिशत स्थायी विकलांगता हो जाने के कारण - मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 45,000/- रूपये के रूप में मुआवजा मंजूर किया जो कि 45 प्रतिशत स्थायी विकलांगता, उपचार की लागत और शारीरिक एवं मानसिक कष्ट के लिए है - उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज - निर्णय: अधिकरण और उच्च न्यायालय ने भविष्य की आय के नुकसान के लिए कोई भी मुआवजा प्रदान नहीं किया- टिबिया टूटने के बाद संदेह है कि अपीलकर्ता कभी वाहन का संचालन कर पायेगा। अपीलकर्ता द्वारा जो विकलांगता अनुभव की गई, वह निश्चित रूप से उसकी कमाई करने की क्षमता को कम करेगा। इसलिए दुर्घटना में आई चोंटो के कारण होने वाली कमाई की हानि के लिए अपीलकर्ता को मुआवजा देने की आवश्यकता है।

अपीलकर्ता की वर्तमान आय को ध्यान मे रखते हुए 4,000/- प्रतिमाह के रूप में माना जाता है जिसमें अन्य विविध खर्चों के प्रति 1/3 की कटौती की जाती है, 45 प्रतिशत स्थायी विकलांगता, दुर्घटना के समय 29 वर्ष की आयु, मल्टीप्लायर को 18 माना जाता है तो कुल आय का नुकसान 2,59,200/- रूपये होता हैं और इसके

अतिरिक्त अधिकरण द्वारा पहले से प्रदान की गई राशि। उसे बढ़ी हुई राशि पर भी समान दर, अर्थात् प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की दर पर ब्याज दावा पेश होने की तारीख से लेकर वास्तविकता तक मिलेगा।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 5108/2007

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 12.10.2004 से।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित- ताराचन्द शर्मा।

प्रतिवादी की ओर से- संतोष पाल।

आदेश

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. मामले के तथ्य इस प्रकार है कि 10 जुलाई, 2003 को अपीलकर्ता अपने मिनी ट्रक नम्बर एमपी2 जी-7705 को रमेश प्रजापति के साथ बरगी की तरफ ले जा रहा था। मिनी ट्रक जब चूल्हा गुलहाई पहुँचा, तो विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक डम्पर नम्बर MP-18-6392 ने गफलत एवं लापरवाही से चलाकर मिनी ट्रक को टक्कर मारी जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता के पैरों पर गंभीर चोंटे आई। अपीलकर्ता को 'टिबियां' सहित 03 फ्रैक्चर हुए। मेडिकल बोर्ड द्वारा चोंटो की जांच करने के बाद मेडिकल बोर्ड इस नतीजे पर पहुँचा कि अपीलकर्ता 45 प्रतिशत स्थायी रूप से विकलांग हो गया है। दुर्घटना के समय अपीलकर्ता की आयु 29 वर्ष थी तथा वह ड्राइवर के रूप में कार्यरत था एवं उसकी मासिक आय 4,000/- रूपये थी।

3. पुलिस द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज की गई। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (संक्षेप में अधिकरण) द्वारा ट्रक डम्पर के मालिक और बीमा कम्पनी के खिलाफ दावा दर्ज किया गया एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 166 के तहत मुआवजे के रूप में

यह दावा करते हुए कि अपीलकर्ता की टिबिया सहित दो अन्य जगहों पर फ्रैक्चर हुआ है, 8,20,000/- रूपयो की मांग की गई।

4. अधिकरण ने अपने 25 जून, 2004 के आदेश में अपीलकर्ता द्वारा अनुभव की गई 45 प्रतिशत स्थायी विकलांगता के लिए 45,000/- रूपये, उपचार खर्च के लिए 21,000/- रूपये एवं शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा के लिए 6,000/- रूपये मुआवजा राशि प्रदान की। इस तरह कुल 72,000/- रूपये मुआवजे के रूप में प्रदान किये गये। दावा पेश करने की तारीख से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी प्रदान किया गया।

5. असंतुष्ट अपीलकर्ता ने मध्यप्रदेश के जबलपुर में स्थित उच्च न्यायालय में अपील पेश की, जिसे विवादित आदेश द्वारा खारिज किया गया।

6. अपीलकर्ता के अधिवक्ता का कथन रहा है कि अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त चोंटो के प्रभाव के परिमाणस्वरूप अपीलकर्ता अब वाहन संचालन का व्यवसाय नहीं कर सकता है। अधिकरण और उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की आजीविका क्षमता की हानि के प्रति किसी भी प्रकार का मुआवजा न प्रदान कर गंभीर भूल की है। अपीलकर्ता की चोंटो को ध्यान में रखते हुए, प्रदान किया गया मुआवजा बहुत कम है। प्रतिवादी संख्या 03, आरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के अधिवक्ता ने न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय व आदेश का समर्थन किया।

7. विद्वान अधिवक्तागण को विस्तार से सुना गया।

8. हम अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुतीकरण को सही पाते है। अधिकरण एवं उच्च न्यायालय द्वारा भविष्य की आय के नुकसान के प्रति कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया है। टिबिया फ्रैक्चर के बाद यह कहना मुश्किल है कि अब अपीलकर्ता फिर से वाहन संचालन कर पाएगा। अगर वह किसी अन्य व्यवसाय को भी करता है, तो भी वह जितनी आय प्राप्त करता था उतनी आय प्राप्त नहीं कर पायेगा। अपीलकर्ता को हुई

विकलांगता ने निश्चित रूप से उसकी आजीविका क्षमता को कम किया है। इसलिए दुर्घटना में आई चोंटो के कारण आय की हानि के लिये अपीलकर्ता को मुआवजा दिया जाना चाहिए।

9. अपीलकर्ता की वर्तमान आय को 11,000/- प्रतिमाह के रूप में देखते हुए और उसको हुई 45 प्रतिशत स्थायी विकलांगता के कारण, हमारा दृढ़ दृष्टिकोण है कि अपीलकर्ता की भविष्य में आय क्षमता 1,800/- रूपये प्रतिमाह कम होगी। यदि अन्य विविध खर्चों के प्रति 1/3 भाग को काटा जाए, तो आय की हानि 1,200/- रूपये प्रतिमाह के रूप में आती है जो पुनः 14,400/- रूपये प्रतिवर्ष है। दुर्घटना के समय अपीलकर्ता की आयु 29 वर्ष थी। धारा 163-ए की द्वितीय अनुसूची के अनुसार, मल्टीप्लायर को 18 मानते हुए, कुल आय का नुकसान 2,59,200/- रूपये आता है।

10. इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर आय का नुकसान 2,59,200/- रूपये पर मूल्यांकित किया जाता है। अपीलकता को इस राशि के अतिरिक्त अधिकरण द्वारा प्रदान की गई राशि का भी हक होगा जिसे उच्च न्यायालय द्वारा मंजूर किया गया है। अपीलकर्ता बढ़ी हुई राशि पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर याचिका दायर करने की तिथि से प्राप्त करने का अधिकारी है।

11. इस प्रकार यह अपील स्वीकार की जाती है और निचले न्यायालयों द्वारा दिए गए आदेश को इस हद तक संशोधित किया जाता है जैसा कि उपर इंगित किया गया है।

अपील स्वीकृत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राकेश कटारा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।